झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग ।

आ0सं0–8 / ज०सं०(नि०)ल०सिं०राँची–04 / 2010:– / राँची, दिनांक –

आदेश

श्री अशोक कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता, संप्रति पुर्नवास पदाधिकारी सं०–01, ईचा चालियामा के विरूद्ध लघु सिंचाई प्रमंडल हुसैनाबाद में पदस्थापन के क्रम में विभिन्न योजनाओं में अनियमितता बरतने संबंधी मामले की जाँच विभागीय उड़नदस्ता से करायी गई। उड़नदस्ता से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में श्री कुमार से स्पष्टीकरण पूछा गया। इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण के विभाग द्वारा सम्यक समीक्षोपरांत इस प्रकरण में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के कारण श्री अशोक कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता, संप्रति पुर्नवास पदाधिकारी सं०–01, ईचा चालियामा, को असैनिक सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली के नियम–49 **A** के तहत् पत्र निर्गत की तिथि से निलंबित किया जाता है।

2. निलम्बन की अवधि के लिए इनका मुख्यालय–मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची का कार्यालय निर्धारित किया जाता है।

3. निलम्बन की अवधि में इन्हें सेवा संहिता के नियम–96 के तहत् जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

4. इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ किए जाने हेतु संकल्प अलग से निर्गत किया जाएगा।

ह0 / –
(डॉ०लम्बोदर महतो)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:– 1263 / राँची, दिनांक:– 12-2-14

प्रतिलिपि:– महालेखाकार,(ले०एवं ह०) झारखंड, राँची / वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, झारखंड, राँची / संयुक्त सचिव (प्र०) जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची / अवर सचिव (प्रभारी प्रशाखा–02 एवं 14) जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची / मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई राँची / कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, हुसैनाबाद / प्रशासक, सुवर्णरेखा परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर / अपर निदेशक, भू–अर्जन एवं पुनर्वास, सुवर्णरेखा परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर / मुख्य अभियंता, चांडिल / मुख्य अभियंता, जमशेदपुर / श्री अशोक कुमार, पुर्नवास पदाधिकारी सं०–01, ईचा चालियामा / उप सचिव (अभि०)–सह–नोडल पदाधिकारी / वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(डॉ०लम्बोदर महतो)
सरकार के अवर सचिव।